

## अनवान प्रकरण

श्री रामेश्वर लाल व० श्री रुपा बैरवा निवासी - बावडी तहसील - माण्डल

वादी

बनाम

1. श्री सती कमली व० श्री रामादोली निवासी - बावडी तहसील - माण्डल  
प्रतापनगर (गाडरीखेड़ा) तहसील - माण्डल जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील - माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 54... मुकदमा नं०/वर्ष 25/23... निर्णय दिनांक 21.3.24

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी

मिनजानिब मुददई व श्री सुरेन्द्र प्रताप सुवालका मन्लाभिव मुदावला पेश होकर हुकम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बरस वादी एवं प्रतिवादी सं० ०१ में इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बावडी परवार हला बावडी तहसील - माण्डल में स्थित निम्नोक्ति उआराजियात विभाजन पुस्तक अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या ०१ के नाम एक हिस्सेनुसार भूमि को राजस्व वि काउंड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाग है

1. श्री रामेश्वर लाल व० श्री रुपा बैरवा निवासी - बावडी तहसील - माण्डल सा. देह खातेदार

आराजी न० रुपा

1415/1295/1 - 0.7166 हेक्टर

आज तारीख 21.3.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी  
सा. देह खातेदार  
माण्डल जिला भीलवाडा

② श्रीमती कमली पं० श्री रामा-दोली निवासी - बावड़ी हाव नि०  
प्रतापनगर (गाडरीखेडा) वहसील माण्डल सा. डेहखातेहार


आराजीनं०

रकबा

1415/1295 - 0.3583

कुलडिगा 01 रकबा 0.3583 हैक्टर

उक्तानुसार भूमि वादी ऐव सुनिवासी सं० 01 के नाम हव  
हिससेनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। वहसीलदार मांडल  
उक्तानुसार भूमि वादी ऐव सुनिवासी सं० 01 के नाम हव हिससेनुसार  
राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। स्वर्चा-फरिदुम अपना-  
अपना वहम करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल